

प्रेस विज्ञप्ति

विशेष सचिव, उ०प्र० शासन लखनऊ शासनादेश संख्या 71/2023/2854/26-3-2023/सी०एन०-1513982 दिनांक 15 सितम्बर 2023 एव निदेशक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या सी-2915/स०क०/शिक्षा-अ/6/597/2023-24 दिनांक 18 सितम्बर 2023 के निर्देशानुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं हेतु दशोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत (कक्षा 11-12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं सहित) में संस्थाओं द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लॉक करने एवं छात्रों द्वारा आवेदन करने से लेकर वितरण तक की समस्त प्रक्रियागत कार्यवाही नियमावलियों में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार किये जाने हेतु समय-सारणी निर्गत की गयी है, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

प्रथम चरण

क्र० सं०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्कप्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) हेतु समय-सारणी
मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही		
1.	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना- प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी / नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थानों (प्रदेश व वाह प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी / विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक
2.	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी/ जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन - प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाईन सत्यापित करना।	22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक

छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन की कार्यवाही		
3	छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन- छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक
4	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 दिवस कार्य दिवसों में- छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र-छात्रा की लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना।	3 जनवरी 2024 तक
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना- आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र-छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नको सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक
6	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना- छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों के आवेदन पत्रों को निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक
7	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना- जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्रों की संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों को, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक

द्वितीय चरण

8	छात्रों द्वारा ऑनलाईन आवेदन- छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक
9	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 दिवस कार्य दिवसों में- छात्र-छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र-छात्रा की लॉगिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 अप्रैल 2023 तक
10	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्थान में जमा किया जाना- आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र-छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 अप्रैल 2024 तक
11	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्रों को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना- छात्र-छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र-छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों के आवेदन पत्रों को निरस्त करना तथा पात्र छात्रों के आवेदन को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक

12	विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी / जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लाक करना— जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्रों की संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लाक करना।	16 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक
----	--	--

अतः जनपद में संचालित समस्त शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्कप्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12 व अन्य दशमोत्तर कक्षाओं) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के छात्र/छात्राओं को योजनान्तर्गत निर्गत समय सारिणी का अपने अपने संस्थानों में सोशल मीडिया, नोटिस बोर्ड तथा अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुये अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं द्वारा नियमानुसार आवेदन कराना सुनिश्चित करें।

8/3/24
जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक ३७९ /स०क०/प्रेस-विज्ञप्ति/2023-24

दिनांक 13/3/23

प्रतिलिपि: निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
3. जिला विद्यालय निरीक्षक, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि संलग्न छात्रवृत्ति समय सारणी की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित की वह दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
5. समस्त सम्बन्धित संस्था प्रबन्धक/कुल सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्रधानाचार्य/प्राचार्य जनपद गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ कि संस्थान में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति संशोधित समय-सारणी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

1/388816/2023

संख्या- 71/2023/2854/26-3-2023/C.N.- 1513982

प्रेषक,

रजनीश चन्द्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास विभाग, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 15 सितम्बर, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2598/स०क०/ शिक्षा-अ/3/597/2023-24 दिनांक 24.08.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उ०प्र० के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु शासनादेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के कतिपय नियमों में आवश्यक संशोधन के फलस्वरूप तथा पोर्टल को डिजीलाकर से इंटीग्रेट करने, नवीन पेज के निर्माण व सिक्पोरिटी आडिट की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए एन०आई०सी० योजना भवन लखनऊ द्वारा एक माह का अतिरिक्त समय मांगा गया है, तत्कम में वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये निम्नलिखित विवरण के अनुसार समय-सारिणी निर्गत किया जाना प्रस्तावित है:-

क्र०	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	समयावधि
	मास्टर डाटा लॉक की कार्यवाही	
1	शिक्षण संस्था द्वारा मास्टर डाटा तैयार करना प्रदेश में स्थित नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करने की कार्यवाही शिक्षा विभाग/विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के माध्यम से किया जाना तदोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना। वाह्य प्रदेश में स्थित शासकीय/शासकीय सहायता प्राप्त नवीन शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा बेस में सम्मिलित होने के लिये आवेदन करना तथा योजनाधिकारी/नोडल अधिकारी, मुख्यालय द्वारा पासवर्ड प्रदान किया जाना। मास्टर डाटा में पूर्व से सम्मिलित संस्थाओं (प्रदेश व वाह्य प्रदेश) द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या, सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना।	21 सितम्बर 2023 से 19 दिसम्बर 2023 तक
2	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक/ जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस आदि का सत्यापन	22 सितम्बर 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक

8/16/2023

	प्रदेश के अन्दर सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी के नोडल अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) द्वारा शिक्षण संस्था, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना।	
छात्र स्तर से ऑनलाइन आवेदन/भुगतान आदि की प्रक्रिया		
प्रथम चरण		
✓ 3	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	22 सितम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक
4	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र की लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 जनवरी, 2024 तक
5	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	25 सितम्बर 2023 से 08 जनवरी 2024 तक
6	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अप्रसारित करना।	25 सितम्बर 2023 से 11 जनवरी 2024 तक
7	नवीनीकरण न करने वाले छात्रों के चिन्हीकरण हेतु भौतिक सत्यापन छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	08 जनवरी 2024 से 03 मई 2024 तक
8	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेन्सी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	12 जनवरी 2024 से 15 फरवरी 2024 तक
9	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	12 जनवरी 2024 से 30 जनवरी 2024 तक

6/2023

10	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	31 जनवरी 2024 से 04 मार्च 2024 तक
11	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना व छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक करना।	31 जनवरी 2024 से 09 फरवरी 2024 तक
12	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/ छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 फरवरी 2024 तक
13	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	13 फरवरी 2024 से 21 फरवरी 2024 तक
14	जनपदीय समिति द्वारा अवशेष शुद्ध एवं अशुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	04 मार्च, 2024 तक
15	मॉग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	10 मार्च 2024 तक
16	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर सही (Correct) डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैड बैंक खातों व बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	15 मार्च 2024 तक
द्वितीय चरण		
17	छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन आवेदन किया जाना।	01 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक
18	छात्र द्वारा त्रुटियों को सुधार करने व फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व 03 कार्य दिवसों में छात्र/छात्राओं द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना।	03 अप्रैल, 2024 तक
19	हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना आनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	08 अप्रैल 2024 तक

16/2023

20	शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्राओं के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	16 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक
21	विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन व अपात्र छात्र, पाठ्यक्रम व संस्था को ब्लॉक करना जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था की मान्यता, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लॉक करना।	16 अप्रैल 2024 से 26 अप्रैल 2024 तक
22	एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त प्राप्त डाटा को एन0आई0सी0 द्वारा निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण करके शुद्ध डाटा पर निर्णय हेतु जनपदीय लागिन पर व छात्र के आवेदन में हुई त्रुटियों के संशोधन हेतु डाटा छात्र की लागिन पर उपलब्ध कराना।	16 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक
23	जनपदीय समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	17 जून 2024 तक
24	त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना छात्र/छात्रा द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किया जाना।	26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक
25	छात्रों द्वारा सही आवेदन को जमा करना एवं संस्था द्वारा पुनः अग्रसारित कराना ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के अभिलेखों से मिलान किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	26 अप्रैल 2024 से 07 मई 2024 तक
26	एन0आई0सी0 द्वारा पुनः स्कूटनी छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण करके जनपदीय लागिन पर उपलब्ध कराना।	08 मई 2024 से 16 मई 2024 तक
27	जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक करना जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं अवशेष शुद्ध डाटा वाले छात्रों के डाटा पर निर्णय करना तथा जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा लॉक किया जाना।	10 जून 2024 तक

28	मांग सृजन जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	14 जून 2024 तक
29	धनराशि का अन्तरण जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्रेचर से लॉक डाटा वाले छात्रों को PFMS प्रणाली के माध्यम से आधार सीडेड/ एन0पी0सी0आई0 से मैज्ड बैंक खातों में धनराशि अन्तरित किया जाना।	21 जून 2024 तक

3- नियमावली में समस्त हितधारकों द्वारा उपरोक्त समय-सारिणी में उल्लिखित व्यवस्थाओं के साथ-साथ निर्धारित समयावधि में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- नवीनीकरण के छात्र को केवल अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या (Enrollment Number) अंकित करते हुये ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। नवीनीकरण के आवेदन में कोई अन्य सूचना नहीं भरनी होगी।
- 3- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षा फल/दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्शन चुनते हुए ऑनलाईन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय-सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि के अनुसार परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षाफल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्व में पूर्ण किये गये आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किये गये आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा।
- 5- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेंसी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपने लॉगिन से निर्धारित माड्यूल पर अपलोड करेंगे जिससे कि छात्र द्वारा आवेदन करते समय ही परीक्षा परिणाम से मिलान लाइव हो सके तथा स्कूटनी के समय मिलान किया जा सके।
- 6- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगा:-

क- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित परीक्षाफल के अनुसार आवेदन में छात्र द्वारा व आवेदन अग्रसारण के समय संस्था द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।

ख- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।

ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा के अन्तर्गत सम्बन्धित संस्थान में संचालित पाठ्यक्रम में शुल्क न भरने अथवा भरी गयी शुल्क को सत्यापित न किये जाने पर।

15/2023

- 7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।
 - 8- प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लब्धित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशो/ छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
Signed by रजनीश चन्द्र
विशेष सचिव।
Date: 14-09-2023 17:14:34
Reason: Approved

पू0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
विशेष सचिव।

- 7- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अप्रसारित न होने पर आवेदन में संशोधन मान्य नहीं होगा।
- 8- प्रथम चरण में विभिन्न हितधारकों के स्तर से लम्बित अवशेष पात्र छात्रों को द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जायेगा।
- 4- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत शासनादेशों/ छात्रवृत्ति नियमावतियों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश चन्द्र)
 Signed by रजनीश चन्द्र
 विशेष सचिव
 Date: 14-09-2023 17:14:34

पु0सं0 एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 9- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश चन्द्र)
 विशेष सचिव।

निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक- C-29 15

/स0क0/शिक्षा-अ/6/597/2023-24

लखनऊ, दिनांक: 18 सितम्बर, 2023

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, अल्पसंख्यक कल्याण/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
- 2-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

5- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी/वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई), योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि समय-सारिणी के शासनादेश संख्या-71/2023/2854/26-3-2023 / C.No.-1513982 दिनांक 15.09.2023 की प्रति छात्रवृत्ति वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ मास्टर डाटा हेतु निर्धारित तिथि 21 सितम्बर 2023 से तथा छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन आनलाइन किये जाने की तिथि 22 सितम्बर 2023 से प्रत्येक दशा में पोर्टल खोले जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

6-वित्त नियंत्रक, मुख्यालय।

7-समस्त मण्डलीय उपनिदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

8-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समयान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।


(पवन कुमार)
निदेशक